20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(2)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

निग – 3368 – I – 16

प्र0क्र. /निगरानी/2016–दतिया

कुँवर सिंह कुशवाह (अभिभाषक) 29/9/16 को

29-9-16

98
29-9-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. चन्द्रपाल उर्फ चन्दू पटेल पुत्र मुलचन्द्र पटेल निवासी ग्राम भिटी तह. व जिला दतिया (म0प्र0)
2. श्रीमती उमा देवी पत्नी हाकिम सिंह पेशा गृह कार्य निवासी ग्राम भिटी हाल निवास ग्राम वरगुंवा जिला जालौन (उ0प्र0)
3. श्रीमती द्रोपती पत्नी मनोहर धर्मा पेशा गृह कार्य निवासी लोहामण्डी आगरा (उ0प्र0)
4. कैलाश सिंह
5. जयेन्द्र सिंह
6. वीरसिंह
7. श्यामलाल

पुत्रगण मूलचन्द्र पटेल निवासीगण भिटी तहसील व जिला दतिया (म0प्र0)

–– निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. कस्तूरी बेवा मायाराम
2. सतीष चन्द्र तनय मायाराम
3. बाबूलाल तनय धनुआ
4. कप्तान तनय धनुआ

समस्त निवासीगण ग्राम रावरी तहसील बडौनी जिला दतिया (म0प्र0)

5. मुन्ना लाल
6. सुगर सिंह
7. बलराम
8. मनोहर

कुँवर सिंह कुशवाह
29/9/2016 (एडवोकेट)

पुत्रगण बृजलाल

9. श्रीमती भगवती पुत्री बृजलाल
10. श्रीमती सुदामा पुत्री बृजलाल
11. श्रीमती मुन्नी पुत्री मूलचन्द्र
12. श्रीमती गरोठाबाई पत्नी मूलचन्द्र
13. सुमित्रा बेवा बृजलाल
14. बाबूलाल पुत्र गंगा प्रसाद
15. उत्तम सिंह पुत्र गंगा प्रसाद
16. रानी दुलैया बेवा गंगा प्रसाद

समस्त निवासीगण ग्राम भिटी तहसील बडौनी जिला दतिया म0प्र0

—— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश एस.डी.ओ. दतिया के प्रकरण कमांक 227/अपील /2015–16 आदेश दिनांक 22.09.2016 को पारित ।

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान, क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्षमता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(3) यहकि, ग्राम व मौजा भिटी आराजी नं. 272 एवं 276 रकवा के मालिक भागीरथ व गंगा प्रसाद थे, भागीरथ द्वारा वर्ष 1954 में अपने हिस्से की जमीन को मायाराम के पास गिरबी रखी व विक्रय शक्ल का गिरवीनामा लेख कराया उक्त विकय पत्र के आधार पर मायाराम द्वारा नामांतरण तहसीलदार दतिया से कराया जो महोदय दतिया द्वारा दिनांक 08.07. 1980 से नामांतरण कर दिया एवं जमीन भागीरथ की मृत्यु के वाद उनके पुत्र बृजलाल, मूलचन्द्र के नाम समान भाग दर्ज हुई व गंगाराम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3368-एक/16 **जिला** - दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को कलेक्टर जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला दतिया**	